मा0 सदस्य विधान परिषद डा0 मान सिंह यादव द्वारा तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-34 का उत्तर :-

अतारांकित प्रश्न संख्या-34	उत्तर
(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के अर्धसैनिक बलों के जवानों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर गृह विभाग के पत्रांक 970के/छः सा०नि०प्र0-24-10(7)/ 2024, दिनांक 0 5 सितम्बर, 2024 के द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त हो गई है?	जी हाँ ।
(ख) यदि हाँ. तो उपरोक्तानुसार किन-किन मृतक जवानों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि उपलब्ध करायी गई?	शासनादेश संख्या-505के/छः-सानिप्र-20-15(25)/ 2018, दिनांक29.07.2020 के अनुसार प्रदेश के अर्धसैनिक बलों के जवानों की कर्तव्यपालन/सक्रिय ड्यूटी के दौरान शहीद होने के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुग्रह धनराशि दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। गृह विभाग के उक्त पत्र से सम्बन्धित प्रकरण शासनादेश संख्या-505के/छः-सानिप्र-20-15(25)/ 2018, दिनांक 29.07.2020 में निहित प्रविधानों से आच्छादित न होने के कारण मृतक जवान के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, मध्य सेक्टर मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, टी.सी.-32/पॉच, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या-पी.तीन-3/2024-म.से.-प्रशा-दो,दिनॉक- 22.10.2024 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार स्व0 विजय बहादुर की मृत्यु दिनॉक 08.11.2023 को डेंगू इलाज के दौरान हुयी थी। अतः उक्त प्रकरण में शासनादेश दिनॉक 29.07.2020 से अच्छादित न होने के कारण स्व0 कार्मिक के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री